कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर
जिला – नारायणपुर (छ.ग.)

(कार्यालय का पूर्ण पता – शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र नारायणपुर के बाजू में, जिला नारायणपुर)

क्रमांक / स्था. / मु.चि.अ. / 2021 / 306 नारायणपुर, दिनॉक 28/07/2021

–:: आदेश ::–

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेड़िकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा में प्राप्तॉकों को आधार मानते हुए विभागीय चयन समिति द्वारा जारी अंतिम मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल – 05 (5200–20200, ग्रेड वेतन 2200) वेतनमान – 22400–71200 पर तथा शासन द्वारा समय–समय पर देय अन्य भत्तों एवं वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 06 में दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं में अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है ।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	चयनित संवर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती हीरामणि पात्र	श्री सुमन सिंह पात्र	ग्राम पो. छोटेडोंगर तह जिला नारायणपुर (छ.ग.)	अजजा	उपस्वास्थ्य केन्द्र सुलेंगा
2	श्रीमती टाकेश्वरी सोरी	श्री रोहित सोरी	ग्राम गुरिया, मकान नंबर 150, पो. बिंजली जिला नारायणपुर (छ.ग.)	अजजा	उपस्वास्थ्य केन्द्र गढ़बेंगाल
3	श्रीमती भगवती बघेल	स्व. श्री प्रेमलाल बघेल	ग्राम पो. बेनूर, बस स्टैण्ड, तहसील एवं जिला नारायणपुर (छ.ग.)	अपिव	उपस्वास्थ्य केन्द्र कोरेण्डा

2/ उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

1. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति तिथि से 10 दिवस के भीतर अपने पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नारायणपुर के समक्ष उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
2. अस्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध्दस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी । नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा, कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनॉक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा ।
3. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त क्रमॉक 02 के अंतर्गत देय राशि के भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।
4. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है, ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी पायी जाती है, तो उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त मानते हुए उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जायेगी तथा उनके विरूध्द विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

कृ.प.उ.

Scanned with CamScanner

5. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियॉ मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।

7. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं पदभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

8. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा दी गई जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी, के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जावेगी ।

9. तीन रूपयें की राषि शासकीय खजाना मे लेखाषीर्ष 0210 मेडिकल मे जमा कर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।

10. यदि चयनित अभ्यर्थियों का राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र (एस.एच.आर.सी.) छ.ग. रायपुर अंतर्गत मितानिन के रूप में 05 वर्ष अबाधित (निरंतर) कार्य करने का का सेवा अनुभव प्रमाण पत्र झूठा या फर्जी पाया जाता है या मितानिन के दायित्वों से पदच्यूत किया गया हो या मितानिन के रूप में कार्य के दौरान कर्तव्यों से संबंधित कोई भी आपराधिक प्रकरण लेखबध्द/दर्ज पाया जाता है, तो नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी ।

11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

12. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि दौरान चयनित अभ्यर्थियों को वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा । संशाधित छ.ग. मूलभूत नियम 22 सी (1) अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा ।

13. उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नारायणपुर

पृ. क्रमांक/स्था./मु.चि.अ./2021/5045-9
नारायणपुर, दिनांक 28/07/2021

प्रतिलिपि :-

1 अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2 आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3 संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. अअल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4 कलेक्टर, जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5 संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बस्तर संभाग जगदलपुर, जिला बस्तर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ ।
6 सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय नारायणपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7 खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8 संबंधित कु./श्रीमती...को सूचनार्थ/पालनार्थ ।
9 कार्यालयीन प्रति ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नारायणपुर

Scanned with CamScanner